न्यायालय न्याय निर्णयन अधि[illegible]तिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी— रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
02 / 2021 प्रा.पत्र / 2021	11.01.2021	31.10.2025

डॉ0 मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री अजय कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अजय ट्रेडर्स बापू बाजार मालपुरा जिला टोंक(राज0) निवासी कायस्थ मोहल्ला वार्ड नं0 13 मालपुरा जिला टोंक राज0 पिनकोड—304502

2—श्री राजकुमार सिन्धी पुत्र श्री दौलतराम सिन्धी प्रोपरायटर मैसर्स राजकुमार किराना स्टोर ज्योति मार्केट मालपुरा जिला टोंक निवासी व्यास मार्ग वार्ड नं0 11 मालपुरा जिला टोंक

3—श्री सुरेश लालवानी पुत्र श्री भगवान दास लालवानी प्रोपरायटर मैसर्स गिरधारी ट्रेडिग कम्पनी डी—6, चांदपोल अनाज मण्डी जयपुर राज0 निवासी :—2—ए, कॅवर नगर त्रिपोलिया बाजार जयपुर पिनकोड—302002

......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006, नियम 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2— अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 व 2 श्री विजेन्द्र गोयल एवं
अभिभाषक अप्रार्थी स0 3 श्री राजेश गूर्जर प्रथम उप.।

:—निर्णय—: दिनांक 31/10/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.08.2020 को समय दोपहर 11:31 ए.एम पर मैसर्स अजय ट्रेडर्स बापू बाजार मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री अजय कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स अजय ट्रेडर्स बापू बाजार मालपुरा जिला टोंक पर खादय पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला। श्री अजय कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अजय कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, श्री अजय कुमाार जैन की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, घी, ब्राण्डेड, चीनी मसाले, स्नैक्स, कन्फैक्शनरी अलग—अलग ब्राण्ड आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ—साथ **प्रोपरायटरी फूड जीरा चावल पापड वैगी ब्राण्ड (Proprietary Food Jeera Rice Papad Veggie Brand)** आम जनता के विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री अजय कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

श्री अजय कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान में 250–250 ग्राम के 28 पैकेट **प्रोपरायटरी फूड जीरा चावल पापड वैगी ब्राण्ड (Proprietary Food Jeera Rice Papad Veggie Brand)** जिसके बैच नं0 ए–2003 एवं पेकिंग की दिनांक मार्च–2020 थी, में से ज्यों का त्यों 8 पैकेट (प्रत्येक 250–250 ग्राम) नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **प्रोपरायटरी फूड जीरा चावल पापड वैगी ब्राण्ड (Proprietary Food Jeera Rice Papad Veggie Brand)** 250–250 ग्राम के 8 पैकेट ज्यों का त्यो साफ प्रिन्टेड को लेकर, 8–8 पैकेट में से 250–250 ग्राम के दो–दो भागों को एक साथ रखकर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–2570 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2570 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री अजय कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अजय ट्रेडर्स बापू बाजार मालपुरा जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स राजकुमार किराना स्टोर ज्योति मार्केट मालपुरा जिला टोंक का एवं मैसर्स राजकुमार किराना स्टोर ज्योति मार्केट मालपुरा जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स गिरधारी ट्रेडिग कम्पनी डी–6, चांदपोल अनाज मण्डी जयपुर राज0 निवासी :–2–ए, कॅवर नगर त्रिपोलिया बाजार जगतपुरा जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3174 दिनांक 16.09.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खा0सु0मा0 प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोट संख्या एल0एस0/1167/एक्ट/2020/1239 दिनांक 27.08.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **प्रोपरायटरी फूड जीरा चावल पापड वैगी ब्राण्ड (Proprietary Food Jeera Rice Papad Veggie Brand)** एफ.एस.एस.ए धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लघंन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी01 एवं अप्रार्थी सं0 2 श्री विजेन्द्र गोयल ने एवं अभिभाषक अप्रार्थी सं0 3 श्री राजेश गूर्जर प्रथम ने उपस्थित होकर बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **प्रोपरायटरी फूड जीरा चावल पापड वैगी ब्राण्ड (Proprietary Food Jeera Rice Papad Veggie Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगणको भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **प्रोपरायटरी फूड जीरा चावल पापड वैगी ब्राण्ड (Proprietary Food Jeera Rice Papad Veggie Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/10/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक